

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-290 / 2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गुणा मुण्डा  
सोमारी होरो

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

16.01.21

## आदेश

आवेदक गुणा मुण्डा पिता स्व० कृष्णा मुण्डा ग्राम-ऐरेन्डा, थाना-खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सोमारी होरो पिता चम्पा होरो ग्राम-महुवाटोली, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
ऐरेन्डा	240	35	9/849	0.10½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0349741353 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 30 दिनांक 08.01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं० 209/215 दिनांक 18.05.1956 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक नाम लगान पाने वाला भीखम भगत हैं। पंजी II के अनुसार एतवा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि 2.13 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 1.06 एकड़ अन्य खाता सं० 1,30,31,46 रकबा 1.56 एकड़ कुल रकबा 2.62 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह)रु० प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.51½ एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गुणा मुण्डा पिता स्व० कृष्णा मुण्डा को सोमारी होरो पिता चम्पा होरो के साथ ग्राम ऐरेन्डा के खाता सं० 35 खेसरा संख्या 9/849 कुल रकबा 0.10½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।